

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ 24(NOC20-21)/बी.एड./आकाशि/2019/474

दिनांक:-15.10.2019

सचिव/रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
निजी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:-सत्र 2020-21 के लिए एनसीटीई से सभी शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता आदेश जारी हुये है तो राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:-श्रीमती जानकी देवी टी.टी. कॉलेज याचिका संख्या 6237/2014 में माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 02.09.2016 की पालना मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है जिन संस्थाओं/विश्वविद्यालयों ने NCTE में शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है और उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (बी.एड.,एम.एड, बीए.बीएड/बीएससी.बीएड, बी.पी.एड.,एम.पी.एड.,बीएड.एमएड) संचालित करने के लिए सत्र 2020-21 से मान्यता आदेश जारी हो चुके हो तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2016 की पालना में काउन्सलिंग में सम्मिलित होने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत पत्रावली आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में निम्नांकित दिनांक तक प्रस्तुत करें। पत्रावली में निम्नांकित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करे। निर्धारित तिथि के पश्चात पत्रावली विभाग में प्राप्त होने पर अथवा कमीपूर्ति करने पर पत्रावली पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी संस्था की होगी।

जिन संस्थाओं/महाविद्यालयों के द्वारा सत्र 2019-20 के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पत्रावली विभाग में प्रस्तुत की है, परन्तु एनसीटीई (NCTE) का मान्यता आदेश की प्रति संलग्न नहीं की है। सत्र 2020-21 के लिए पुनः नवीन आवेदन एवं एनसीटीई (NCTE) का मान्यता आदेश की प्रति विभाग में प्रस्तुत करें।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10 मार्च निर्धारित है। किन्तु 09 व 10 मार्च, 2020 को राजकीय अवकाश होने के कारण अंतिम तिथि 11 मार्च, 2020 निर्धारित की गई है।
राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आदेश जारी करने की अंतिम तिथि	अंतिम तिथि 30 मार्च, 2020 निर्धारित है।

1. एनसीटीई का मान्यता आदेश की प्रति।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनापत्ति प्रमाण शुल्क रू0 30000/-बजट मद - 0202 -01 - 103 -02-03- बी.एड महाविद्यालय से प्राप्ति मद में जमा की ई-चालान रसीद प्रस्तुत करें।
3. बालिका शिक्षा फाउन्डेशन में रू 15000/- जमा की रसीद।
4. भूमि सम्बन्धी दस्तावेज। (एनसीटीई के मानदण्डानुसार)
5. महाविद्यालय भूमि का भू-रूपान्तरण (संपरिवर्तन) आदेश की प्रति।
6. महाविद्यालय का ब्लू प्रिन्ट सक्षम अधिकारी (सरकारी अभियन्ता) से प्रमाणित प्रति।
7. महाविद्यालय का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सत्र 2020-21 के लिए।
8. सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शैक्षणिक स्टाफ की सूची(एनसीटीई के मानदण्डानुसार)
9. अशैक्षणिक स्टाफ सूची (एनसीटीई के मानदण्डानुसार)
10. कमरों की संख्या एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का प्रमाण पत्र
11. पुस्तकालय में पुस्तको की संख्यां
12. सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा जारी एन ओ सी की प्रति
13. पूर्व संचालित महाविद्यालय का साक्ष्य (राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी आदेश की प्रति) केवल एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, (ग्रुप-4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
2. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा(ग्रुप-4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, एन.सी.टी.ई, जी-7,सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
4. समन्वयक पीटीईटी2019, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
5. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(निजी संस्था),
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।